अल्लाह ही दाता है

मुहम्मद अज़हर मदनी

हज़रत उमर बिन अल ख़त्ताब रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के सन्देष्टा मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अगर तुम अल्लाह पर इस तरह भरोसा करो जिस तरह भरोसा करने का हक़ है तो वह तुम्हें ऐसे ही रोज़ी देगा जिस तरह वह पक्षियों को रोज़ी देता है जो सुबह के वक़्त खाली पेट निकलते हैं और शाम के वक़्त पेट भर कर वापस आते हैं। (तिर्मिज़ी ४/५७३-२३४४, इब्ने माजा २/१३६४-४१६४, मुसनद अहमद १/२०५, ३३२)

रोज़ी का मामला बहुत अहम है। इन्सान अपनी पूरी ज़िन्दगी को इसी बिन्दु पर खतम कर देता है कि वह कहां से और कैसे रोज़ी हासिल करे? इसके लिये जितने तरीके और साधन होते हैं सब अपनाता है। एक मोमिन बन्दे का अक़ीदा यह होना चाहिए कि अल्लाह ही रोज़ी देने वाला है, उससे जितना मांगा जाए कम है और वह चाहे जितना दे उसके खज़ाने में राई के दाने के बराबर भी कमी नहीं हो सकती और रोज़ी जिसके सिलसिले में इन्सान इतना परेशान रहता है अपनी तमाम सृष्टि को रोज़ी पहुंचाने की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है इसी लिये आप देखते हैं हर इन्सान बल्कि हर सृष्टि अल्लाह की दी हुई नेमतों से लाभान्वित हो रही है और उसे अल्लाह की तरफ से रोज़ी मिल रही है और रोज़ी देने के बारे में कोई भेद भाव नहीं है। मुस्लिम, गैर मुस्लिम, अच्छा बुरा, जानवर हो या इंसान, हर एक को रोज़ी मिल रही है और वहां से मिल रही है जहां से वह सोच भी नहीं सकता। लेकिन जब इन्सान का ईमान कमज़ोर हो अल्लाह पर भरोसा न हो तो वह बहुत सारी चीज़ों से वंचित (महरूम) हो जाता है और दर-दर की ठोकरें खाता है और अगर यही भरोसा और विश्वास अल्लाह पर इस तरह हो जिस तरह उस का हक़ है तो वह ऐसे ही रोज़ी देगा जैसे खाली पेट बेहाल पक्षियों को देता है। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है ''ज़मीन पर चलने फिरने वाले जितने जानदार हैं सब की रोज़ियां अल्लाह तआला पर है यानी वह जिम्मेदार है'' (सूरे हूद-६) ज़मीन पर चलने वाली हर सृष्टि इनसान हो या जिन्नात, चौपाए हों या पक्षी, छोटी हो या बड़ी, समुद्र में हो या खुश्की (थल) पर हर एक को उसकी ज़रूरत के मुताबिक़ खूराक देता है। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है : ''आसमान में तुम्हारी रोज़ी है और वह भी जिस का तुम से वादा किया जाता है'' (सूरे ज़ारियात-आयत नंबर २२)

जिस रोज़ी रोज़गार के बारे में इतनी स्पष्ट तालीमात हैं और वह भी वादा की शक्ल में तो ऐसी सूरत में हमारे ईमान में और ज़्यादा बढ़ोतरी होनी चाहिए और अल्लाह पर भरोसा और विश्वास होना चाहिए और रोज़ी के जो हलाल संसाधन हैं जिस की तरफ इस्लाम ने हमारा मार्गदर्शन किया है उनको अपनाएं और इन संसाधनों को अपना कर खूब मेहनत करनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि वह हम लोगों को हलाल रोज़ी कमाने की क्षमता दे, ईमान और विश्वास पर बाक़ी रखे और जब हमारा ख़ातमा हो तो इस आस्था के साथ हो कि अल्लाह ही दाता (देने वाला) है।

मासिक

इसलाहे समाज

जुलाई 2025 वर्ष 36 अंक 7

मुहर्ररमुल हराम 1447 हिजरी

संरक्षक

असग़र अ़ली 'सलफ़ी'

संपादक

मुहम्मद ताहिर

❑ वार्षिक राशि 100 रुपये

❑ प्रति कापी 10 रुपये

सम्पर्क

मासिक इसलाहे समाज (हिन्दी)

4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद

दिल्ली-110006

फोन : 23273407 फ़ैक्स: 23246613

RNI No. 53452/90

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद ताहिर ने मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ओर से एम.एस. प्रिन्टर्स, A-145 गली न० 8 चौहान बांगर, सीलमपुर, दिल्ली-53 से छपवा कर अहले हदीस मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6 से प्रकाशित किया।

सम्पादक: मुहम्मद ताहिर

लेखक के विचारों से संस्था का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

इस अंक में

1. अल्लाह ही दाता है 02

2. इस्लाम का इंसाफ 04

3. अच्छे कर्मों का फ़ायदा और प्रभाव 06

4. भाग्य पर ईमान 08

5. इबादत करने से पहले के अहकाम 12

6. मानवता का सम्मान और विश्व-धर्म 14

7. मौत से पाठ हासिल करो 16

8. इस्लाम की शिक्षायें 17

9. रिज़ाअत 19

10. डा०अबुल हयात का निधन(प्रेस रिलीज) 23

11. 21वाँ आल इंडिया मुसाबक़ा हिफ़्ज़ व तजवीद और तफसीर कुरआन करीम 24

12. कार्यसमिति की रिपोर्ट 25

13. अहले हदीस मंज़िल (विज्ञापन) 28

ईमेल:-

Jaridahtarjuman@gmail.com

Jamiatahlehadeeshind@hotmail.com

अब 'इसलाहे समाज' इन्टरनेट पर भी उपलब्ध है

वेब साइट:- www.ahlehadees.org

सम्पादकीय

इस्लाम का न्याय

मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी
अध्यक्ष, मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द

इस्लाम इन्सान की फितरत के बिलकुल अनुकूल है वह मजलूम को दिफा का हक़ देता है। पवित्र कुरआन ने बड़ी तफसील से वाक़आत, हालात और घटनाओं के दृष्टिगत मुसलमानों को अन्य शब्दों में किसी मजलूम या पीड़ित को दिफा का हक़ दिया है जो कि फितरत के बिल्कुल मुताबिक है और दुनिया का हर इन्साफ पसन्द दिल की गहराइयों से इसकी गवाही देने पर मजबूर है। मध्यकाल की वह तमाम कौमें जिन्होंने इस्लाम दुश्मनी में अपनी ज़िन्दगियाँ खपा दीं और इस्लाम धर्म के ख़िलाफ ज़हर उगलने में कोई मौक़ा हाथ से जाने नहीं दिया उन्होंने भी जब थोड़ा सा भी इन्साफ़ किया और दिल के दरवाज़े को थोड़ी देर के लिये खोला तो उनमें अधिकांश इस्लाम ले आए या कम से कम इस्लाम, मुसलमानों और इस्लाम के पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के प्रशंसक बन गये जिन की सूची बहुत लंबी है क्योंकि आप की जीवनी, चरित्र का मुश्क और अंबर ही ऐसा है कि वह सवयं अपनी खुश्बूएं बिखेरता है और पूरी मानवता को लाभान्वित करता है।

इस्लाम धर्म न्याय और समता का झंण्डावाहक है। इन्साफ का तक़ाज़ा यह है कि पीड़ित और मजलूम को जालिम से बिना अतिश्योक्ति बदला का अधिकार दिया जाये इस्लाम ने यह हक़ हर मजलूम और पात्र व्यक्ति को दिया है। दुनिया की कौमों में से बहुतेरे इस हक़ के मानने और जानने पर गौरववान्वित हैं और अपनी प्रशंसा करने में उनकी जुबानों नहीं थकतीं वह भी अदालत के ऐवानों तक न कि जंग के मैदानों में। यूनानियों, ईरानियों, अफ्रीकियों, मिसरियों, तातारियों और खुद अरब के अनेक क़बीलों के झगड़ों और जंगों का हाल सब को मालूम है और पवित्र कुरआन की भाषा में उनका हाल यह है कि ''बादशाह जब किसी बस्ती में घुसतें हैं तो उजाड़ देते हैं और वहां के बाइज़्ज़त लोगों को ज़लील कर देते हैं और यह लोग भी ऐसा ही करेंगे।'' (सूरे नमलः३४)

हर दौर में मानवता इन नाइंसाफियों और ज़्यादतियों की वजह से कराहती रही है और उसके साथ जो कुछ जंगों के मैदानों में रवा रखा गया उसकी मिसाल नहीं मिलती और सभ्य दुनिया जंगी अपराध करने वाले अपराधियों के लिये तय की गई सज़ा कभी भी न दे सकी। हमेशा कागज़ी घोड़ा दौड़ाने और हाथी के दाँत दिखाने के अलावा कुछ न कर सकी और वह एक सभ्य क़ौम होने का महज़ प्रदर्शन करने से आगे न बढ़ सकी वह भी इस्लाम के जंग के शिष्टाचार, नियम का चर्बा निकाल करके और बस वरना हक़ तो यह है कि अदालत के ऐवान जो इन्साफ और हक़ के वर्चस्व के लिये कायम होते हैं, में सबसे ज़्यादा नाइंसाफियाँ और अत्याचार बरते गये। आज भी राष्ट्रों की संस्थाएं यही कुछ कर रही हैं, विश्व अदालतें महान शक्तियां

और मजलूम कौमों के साथ यही सब व्यवहार कर रही हैं।

इस्लाम अदालत के ऐवानों में भी इन्साफ व समता का वह आदर्श पेश करने में कामयाब रहा जिसकी मिसाल नहीं मिल सकती है।

स्वयं इस्लाम के पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने यहूद और मुसलमानों के बीच फैसला करने में मुसलमानों के खिलाफ फैसला सुनाया। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के न्याय और इन्साफ परवरी का इस धरती पर इन्तेहा हो गई थी अर्थात आप इन्साफ करने में सबसे आगे थे। एक अवसर पर पैगम्बर हज़रत मुहममद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

मैं केवल एक इन्सान हूँ तुम अपने झगड़े मेरे पास लाते हो और हो सकता है कि तुम में से बाज़ दूसरे से अपनी बात रखने में ज़्यादा माहिर हो। इस लिये मैं जो कुछ सुनता हूं उसकी बुनियाद पर उसके हक़ में फैसला सुनाता हूँ मैं अगर उसके भाई का हक़ कुछ भी फैसले की बुनियाद पर दे देता हूं तो निःसन्देह मैं उसे आग का एक टुकड़ा दे रहा हूं।'' (अर्थात मेरे फैसले की बुनियाद पर उसके लिये किसी भी तरह जायज़ नहीं है)।

इस्लाम का इन्साफ देखिए कि मुसलमानों को इस बात का अधिकार नहीं है कि वह दुश्मन के मामले में इस्लामी चरित्र के स्तर की पाबन्दी न करे। चाहे दुश्मन इसकी पाबन्दी करे या न करे। मुसलमान को इस बात का अधिकार नहीं है कि वह अल्लाह तआला की सीमाओं का उल्लंघन करे चाहे उसका जंगजू दुश्मन इन सीमाओं का उल्लंघन करने वाला हो। अगर मुसलमान से जंग करने वाले उनके मकतूलीन की लाशों का मुसला करें तो उनके लिये अपने दुश्मनों की लाशों का मुसला करना जायज़ नहीं है और अगर दुश्मन मुस्लिम औरतों और बच्चों या जंग न करने वालों को क़त्ल करें तो मुसलमानों के लिये जायज़ नहीं है कि वह दुश्मनों की औरतों या बच्चों या जंग न करने वालों को क़त्ल करें।

व्याख्याकारों और टीकाकारों ने सूरह बक़रा की इस आयत ''लड़ो अल्लाह की राह में जो तुम से लड़ते हैं अल्लाह तआला ज़्यादती करने वालों को पसन्द नहीं करता'' की तफसीर एवं व्याख्या में इस अध्याय में बयान की गई हदीसें और इस्लाम के चारों खलीफ़ा रज़ियल्लाहो अन्हुम के व्यवहारिक आदर्श और फैसलों का उल्लेख किया है इन्हीं दलीलों में से सहीह मुस्लिम में बुरैदा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की यह हदीस भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम जब अल्लाह की राह में अत्याचार के खिलाफ और मज़लूमों की मदद करने के लिये लश्कर को भेजते थे तो यह नसीहत फरमाते कि माले गनीमत में ख्यानत न करो, वचन न तोड़ो मक़तूल का मुसला (लाश के साथ बूरा व्यवहार) न करो, बच्चों को क़त्ल न करो, गिरजाघर में रहने वालों को क़त्ल न करो।

इस्लाम के पैगम्बर के यह कथन किसी भी मुसलमान के लिये बड़ी चीज़ हैं। और इनका अनुसरण और इन पर अमल से ही वह मुसलमान बाक़ी रहता है और मुसमलान कहलाने का पात्र है। पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के प्यारे साथियों और आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के व्यवहार व आचरण से भी यही शिक्षा आदर्श और आदेश मिलता है।

❑❑❑

अच्छे कर्मों का फायदा और प्रभाव

अबू हमदान अशरफ़ फ़ैजी

अच्छा कर्म और ज़्यादा नेक काम पर कायम रहने में सबसे बड़ी मददगार चीजों में से है क्योंकि इंसान उस वक्त सक्रिय हो जाता है जब वह अपने आसपास के दोस्तों को नेकी और इबादत में मसरूफ देखता है और उसे शर्म महसूस होती है जब वह अपने आप को मेहनत करने वालों के दरमियान सुस्ती करता हुआ पाता है इसलिए अकलमंद वह है जो नेक लोगों और सलाहियत रखने वालों की संगत अपनाता है जिन्हें देखकर अल्लाह ही याद आ जाए अच्छे लोगों की संगत अपनाना उनके साथ ज्यादा वक्त गुजारना अच्छे लोगों की ज़िंदगी के हालात से वाकिफ होना और जिक्र की मजलिसों में शरीक होने का एहतमाम करना यह सब चीज इंसान के दिल में हिम्मत पैदा करती हैं। अच्छी संगत मुसलमान को रमजान के बाद खासतौर पर साबित कदम रहने और नेक काम करने से जुड़े रहने में मदद देती है क्योंकि रमजान के बाद ज्यादातर लोग सुस्ती का शिकार हो जाते हैं और ऐसे वक्त में अच्छी संगत की भूमिका बहुत अहम हो जाती है जो मुसलमान को नेकी के रास्ते पर काइम रखने में मदद देती है। इंसान अपने आसपास के लोगों से असर लेता है अगर उसकी संगति अच्छे लोगों की हो तो उसे गुनाहों से बचाती है और भलाई पर कायम रखती है और जो शख्स अपने पालनहार के जिक्र से गाफिल हो जाए उसकी संगत नुकसान देह है और गुमराही का सबब होती है बल्कि वह अल्लाह के अधिकारों में कोताही की तरफ ले जाने वाला रास्ता है। अल्लाह ताला ने अच्छे लोगों की संगत अपनाने और काहिल लोगों से बचने का हुक्म देते हुए फरमाया "और अपने आप को उन्हीं के साथ रखा कर जो अपने परवरदिगार को सुबह शाम पुकारते हैं और उसी के चेहरे के इरादे रखते हैं (अर्थात अपने पालनहार की खुशी चाहते हैं) खबरदार तेरी निगाहें उनसे ना हटनी पाएँ कि दुनियावी ज़िंदगी के ठाठ के इरादे में लग जा। देखा उसका कहना ना मानना जिसके दिल को हमने अपने जिक्र से ग़ाफिल कर दिया है और जो अपनी इच्छा के पीछे पड़ा हुआ है और जिसका काम हद से गुजर चुका है। "

एक हदीस में है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हू कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है इसलिए तुम में से हर शख़्स को यह देखना चाहिए कि वह किस से दोस्ती कर रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस में ज्यादा से ज्यादा मौत को याद करने की ताकीद की है इससे अच्छे कर्म करने की सीख मिलती है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो अन्हू कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लज्जतों को तोड़ने वाली अर्थात मौत को ज्यादा

से ज्यादा याद करो। इसी तरह से मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करने वालों को सबसे ज्यादा अकलमंद कहा गया है। अब्दुल्लाह बिन उम्र की रिवायत है कि आपके पास एक अंसारी शख्स आया उसने आपको सलाम किया फिर कहने लगा ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान! हम में से कौन सबसे अफजल है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम ने फरमाया जो इनमें सबसे अच्छे अखलाक वाला है। उसने कहा इनमें सबसे अकलमंद कौन है? अल्लाह के रसूल ने फरमायाः जो उनमें मौत को सबसे ज्यादा याद करें और मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए सबसे अच्छी तैयारी करेवही अकलमंद है। (सुनन इब्ने माजा ४२५२)

जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा मौत को याद करता है वह अपने अमल में सक्रिय हो जाता है और लंबी उम्मीद के धोखे में नहीं पड़ता बल्कि मौत आने से पहले अच्छे कर्म करने में जल्दी करता है और दुनिया की तरफ मायल होने से बचता है। हसन बसरी रहमातुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किसी बंदे ने मौत को ज्यादा से ज्यादा याद नहीं किया मगर यह याद उसके अमल में जाहिर हुई और किसी बंदे की उम्मीद ज़िंदगी की ख्वाहिश लंबी नहीं हुई मगर उसने अमल को बिगाड़ दिया।

मालूम हुआ कि मौत की याद इंसान को नेक आमाल की तरफ ले जाती है जबकि लंबी उम्मीद और दुनिया की मोहब्बत इंसान को गफलत में डाल देती है हम इस बात को याद रखें

मालूम हुआ कि मौत की याद इंसान को नेक आमाल की तरफ ले जाती है जबकि लंबी उम्मीद और दुनिया की मोहब्बत इंसान को गफलत में डाल देती है हम इस बात को याद रखें कि जिस तरह रमजान मुबारक गुजर गया इसी तरह बड़ी तेजी के साथ हमारी ज़िदगी गुजर रही है और एक दिन आएगा जब हमारा खात्मा हो जाएगा मौत के वक्त इंसान अल्लाह ताला से अच्छे कर्म करने के लिए थोड़ी सी मोहलत मांगेगा मगर उसे मोहलत ना मिलेगी इसलिए ज़िंदगी को कीमती समझते हुए मौत आने से पहले नेक काम की पाबंदी करें। कुरआन में अल्लाह ताला ने फरमाया है ''यहां तक कि जब उनमें से किसी को मौत आने लगती है तो कहता है मेरे पालनहार मुझे वापस लौटा दे कि अपनी छोड़ी हुई दुनिया में जा कर नेक अमाल कर लूं ऐसा नहीं होगा। यह तो सिर्फ एक कथन है जिसका यह कायल हैं उनके पसे पुश्त एक हिजाब है उनके दोबारा जी उठने के दिन तक'' कुरआन में अल्लाह ताला ने फरमाया :और जो कुछ हमने तुम्हें दे रखा है उसमें से हमारी राह में इससे पहले खर्च करो कि तुम में से किसी को मौत आ जाए तो कहने लगे ऐ मेरे परवरदिगार मुझे तो थोड़ी देर की मोहलत क्यों नहीं देता कि मैं सदका करूं और नेक लोगों में से हो जाऊं और जब किसी का वक्त आ जाता है फिर उसे अल्लाह ताला हरगिज़ मोहलत नहीं देता और जो कुछ तुम करते हो उसको अल्लाह तआला अच्छी तरह जानता है।

❑❑❑

भाग्य पर ईमान

लेखकःशैख मुहम्मद सालेह ओसैमीन रह०

मुसलमान भाग्य के अच्छे एवं बुरे होने पर ईमान रखते हैं तथा कि विश्व के संबन्ध में अल्लाह का निर्धारित अनुमान है, वह पूर्व से सब कुछ जानता है भाग्य को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

१. ज्ञान

हमारा ईमान है कि अल्लाह तआला हर चीज़ के संबन्ध में जो कुछ हो चुका है और जो होने वाला है अथवा किस प्रकार होगा सब कुछ जानता है। न उसके ज्ञान का कोई आरम्भ है और न ही अंत।

२. हमारा ईमान है कि क़ियामत (महाप्रलय) तक जो कुछ होने वाला है अल्लाह तआला ने उसे लौहे महफूज (वह तख़्ती जिस पर अल्लाह तआला ने संसार में होने वाली सारी घटनाओं का उल्लेख कर दिया है जिसे कोई पढ़ नहीं सकता) में रखा है फरमाते हैंः

क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ आकाश एवं धरती में है अल्लाह तआला उसको जानता है यह सब कुछ किताब में लिखा है यह सब अल्लाह के लिए अत्यन्त सरल है। (सूरह हज्ज-७०)

३. हमारा ईमान है कि जो कुछ धरती एवं आकाश में है सब अल्लाह की इच्छा से उत्पन्न हुई है। कोई वस्तु अल्लाह तआला की आज्ञा के बिना नहीं होती। अल्लाह तआला जो चाहता है वह होता है और जो नहीं चाहता वह नहीं होता है।

४. रचनाः

हमारा ईमान है किः

अल्लाह तआला ही समसत वस्तुओं का रचयिता है तथा वही हरेक वस्तु का संरक्षक है। उसके पास धरती एवं आकाशों की चाभियाँ हैं। (सूरे जुमर-६२,६३)

तथा भाग्य के इन श्रेणियों में वह सब कुछ आ जाता है जो स्वयं अल्लाह तआला की ओर से होता है तथा जो बन्दों की ओर से होता है इसलिए कि बन्दों से जो भी व्यवहार हो चाहे वह कथनात्मक एवं कर्मात्मक हो या जिन कर्मों को वह छोड़ देते हैं वह सब अल्लाह तआला के ज्ञान में है एवं उसके पास लिखा है। अल्लाह तआला ने उन्हें चाहा तथा उसने उन्हें जन्म दिया।

''विशेष रूप से उनके लिए जो तुम में से सीधे मार्ग पर चलना चाहे तथा तुम कुछ भी नहीं चाह सकते परन्तु वही जो अल्लाह तआला समस्त जगत का प्रभु चाहे।'' (सूरह तकबीर-२८-२९)

''और यदि अल्लाह तआला चाहता तो यह लोग आपस में नहीं लड़ते परन्तु अल्लाह जो चाहता है करता है।'' (सूरह बकर-२५३)

''और यदि अल्लाह चाहता तो वह ऐसा नहीं करते इसलिए आप उनको छोड़ दीजिए कि वह जानें या उनका झूठ।'' (सूरह अंआम-१३७)

हालांकि तुम को और जो तुम करते हो उसको अल्लाह तआला ही ने पैदा किया है। (सूरह साफ्फात-१६)

लेकिन इसके साथ-साथ हमारा यह ईमान भी है कि अल्लाह तआला ने बन्दों को शक्ति एवं पसन्द से

सम्मानित किया है। बन्दा जो करता है उसकी दी हुई शक्ति एवं अधिकार ही के आधार पर करता है।

तथा बहुत से ऐसे कार्य हैं जो इस बात का तर्क देते हैं कि बन्दे का कर्म उसके दिये हुए अधिकार एवं शक्ति से प्रकट होता है।

१. अल्लाह तआला फरमाते हैं:

''अपनी खेती में जिस प्रकार चाहो जाओ।'' (सूरह बकरा-२२३)

और फ़रमाते हैं:

''और यदि वह निकलने का निश्चय करते तो उसके लिए संसाधान की तैयारी करते।'' (सूरह तौबा-४६)

पहली आयत में (आने) को बन्दा के लिए अल्लाह तआला की आज्ञा के साथ एवं दूसरी आयत में (तैयारी) को उसके निश्चय पर निर्भर रखा है।

२. बन्दे को अल्लाह तआला ने उचित एवं अनुचित कर्मों से सम्बन्ध स्थापित करा दिया है यदि उसके पास अधिकार एवं शक्ति न होते तो यह भार कैसे उठा सकते। तथा वह ऐसी बात होती जो अल्लाह के दया एवं उपाय और उसकी ओर से प्राप्त होने वाली सूचनाओं के विपरीत होती। जबकि उसका कथन है:

''अल्लाह किसी व्यक्ति को उसकी शक्ति से अधिक भार नहीं देता।'' (सूरह बकरः २८६)

३. नेक काम करने वालों की नेकी पर प्रशंसा एवं बुरे काम करने वालों की दुराचारी पर निंदा तथा दोनों को उनके प्रतिकार का वादा भी इस बात का तर्क है कि बन्दा विवश नहीं बल्कि स्वाधीन है।

यदि बन्दे का कर्म उसके अधिकार एवं निश्चय से नहीं होता तो नेकी करने वालों की प्रशंसा करना व्यर्थ होता तथा बुरे पर दंड अत्याचार होता और अल्लाह तआला व्यर्थ कामों एवं अत्याचार करने से पवित्र है।

४. अल्लाह तआला ने रसूल भेजे जिनका उद्देश्य यह है कि:

''सभी रसूलों को अल्लाह तआला ने शुभसूचक एवं सचेतकर्ता बनाकर भेजा था ताकि रसूलों के आने के बाद लोगों को अल्लाह के समक्ष अभियोग करने वाला अवसर न रह जाये। (सूरह निसा-१६५)

और यदि बन्दे का काम उसके अधिकार एवं निश्चय से न होता तो रसूल भेजने से उसका अभियोग गलत न होता।

५. हर काम करने वाला व्यक्ति काम करते या छोड़ते समय अपने आप को हर प्रकार की कठिनाइयों से मुक्त पाता है।

मनुष्य केवल अपने इरादा से उठता-बैठता, आता-जाता तथा यात्रा एवं ठहराव करता है। उसे कोई अनुभव नहीं होता कि उसे इस पर विवश किया जा रहा है। वास्तव में वह इन कामों में जो उसके अधिकार से या किसी के विवश करने से करता है अंतर समझ सकता है। ऐसे ही शास्त्र ने आदेशों के अनुसार उन दोनों प्रकार के कार्यों एवं कर्मों में अंतर किया है। इसलिए मनुष्य अल्लाह तआला से सम्बन्धित जो कार्य है उसे विवश होकर कर जाये उस पर कोई पकड़ नहीं है।

हमारा अकीदा है कि पापियों को अपने पाप पर भाग्य से तर्क पकड़ने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वह पाप करते समय स्वाधीन होता है और उसे इसके सम्बन्धा में कोई ज्ञान नहीं होता कि अल्लाह तआला ने उसके लिए यही प्रबन्ध

कर रखा है क्योंकि किसी कार्य के होने से पूर्व अल्लाह तआला ने जो भाग्य में लिखा था है उसको कोई जान नहीं सकता।

''कोई भी नहीं जानता कि कल क्या करेगा''। (सूरह लुकमान-३४)

फिर जब मनुष्य कोई कदम उठाते समय इस तर्क को जानता ही नहीं तो फिर सफाई देते समय उसका तर्क कैसे दे सकता है और इसमें कोई संदेह नहीं कि अल्लाह तआला ने उस तर्क को असत्य ठहराया है। फरमाते हैं:

जो लोग शिर्क करते हैं वह कहेंगे कि यदि अल्लाह चाहता तो हम शिर्क नहीं करते और न हमारे पूर्वज शिर्क करते और न हम किसी चीज़ को हराम ठहराते इसी प्रकार उन लोगों ने झुठलाया जो उनसे पहले थे। यहां तक कि हमारे प्रकोप (अज़ाब) का मज़ा चख कर रहे। कह दो क्या तुम्हो पास कोई ज्ञान है यदि है तो हमारे समक्ष रखो। (व्यक्त करो) तुम केवल कल्पनाओं पर अनुसरण करते हो तथा अनुमान लगाते हो। (सूरह अंआम-१४८)

तथा हम भाग्य को आधार बनाकर पापियों से कहेंगे:

आप पुण्य कर्म एवं आज्ञापालन क्यों नहीं करते। यह मानते हुए कि अल्लाह तआला ने आप के भाग्य में यही लिखा है। पाप एवं आज्ञापालन में इस आधार पर कोई अंतर नहीं है। बल्कि कार्य हो जाने से पहले आज्ञानता में आप के लिए दोनों समान हैं। इसीलिए हज़रत मुहम्मद स० ने जब सहाबा किराम रज़ियल्लाहो अन्हुम को यह सूचना दी कि तुम में हरेक का स्वर्ग-नरक दोनों में ठिकाना तय कर दिया गया है तो उन्होंने निवेदन किया कि क्या हम कर्म करने को छोड़ कर उसी पर भरोसा न करें। आप स० ने फरमाया: नहीं क्योंकि जिसको जिस ठिकाने के लिए जन्म दिया गया है उसी के कर्मों के करने का सामर्थ्य उसे दिया जाता है।

तथा अपने पापों पर भागय से तर्क पकड़ने वालों से कहेंगे कि:

यदि आप का इरादा मक्का की यात्रा के लिए हो तथा उसके दो मार्ग हों, और आप को कोई विश्वासी व्यक्ति यह कह दे कि उनमें से एक मार्ग बहुत ही भयंकर एवं कष्टदायक हैं तथा दूसरा बहुत ही सरल एवं शांतिपूर्ण है तो वास्तव में आप दूसरा ही मार्ग अपनायेंगे और यह असंभव है कि यह कहते हुए पहले वाले भयंकर मार्ग पर चल निकलेंगे कि मेरे भाग्य में यही लिखा है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप की गिन्ती दीवानों में होगी।

और हम उनसे यह भी कहेंगे कि:

यदि आप को दो नौकरियों का प्रस्ताव दिया जाये उनमें से एक का वेतन अधिक हो तो आप कम वेतन वाली नौकरियों के बजाये अधिक वेतन वाली नौकरी को करने के लिए तैयार होंगे तो फिर पारलौकिक कर्म के संबन्ध में आप क्यों साधारण मज़दूरी को अपनाते हैं और फिर भाग्य को दोष देते हैं।

और हम उनसे यह भी कहेंगे कि:

जब आप किसी शारीरिक रोग में ग्रस्त होते हैं तो अपने उपचार के लिए हर उस डाक्टर के पास जाते हैं जो अपने उपचार से आप के रोग को ठीक क दे उसके लिए आप

आपरेशन की पीड़ा एवं कड़वी दवा पूरे धैर्य के साथ सहन करते हैं तो फिर आप अपने दिल पर पापों के रोग के हमले की सूरत में ऐसा क्यों नहीं करते।

हमारा ईमान है कि अल्लाह तआला की अति कृपा एवं हिक्मत के चलते बुराई का संबन्ध उसकी ओर नहीं जोड़ा जाता। नबी स० ने फरमायाः

''तथा बुराई तेरी ओर सम्बन्धित नहीं है।'' (मुस्लिम)

अल्लाह तआला के आदेशों में स्वयं कभी बुराई नहीं हो सकती क्योंकि वह उसकी कृपा है हज़रत हसन रज़ियल्लाहो तआला अन्हो को आप स० ने दुआये कुनूत की शिक्षा दी उसमें आप स० का इरशाद है:

मुझे अपनी निर्णीत चीज़ों के उपद्रव से सुरक्षित रख।

इसमें उपद्रव का सम्बन्ध ईश्वर की आज्ञा के तक़ाजे की ओर है और फिर तक़ाजों में भी केवल बुराई नहीं है बल्कि वह भी एक आधार से बुराई होती है तो दूसरे आधार से उपकार। तथा एक स्थान पर वह उप्रव नज़र आता है तो दूसरे स्थान पर वही उपकार महसूस होता हे।

जैसो अकाल, बीमारी, फकरीरी तथा भय आदि सभी चीज़ें धरती में बुराई हैं। परन्तु दूसरे स्थान पर यही चीजें भलाई एवं उपकार हैं। अल्लाह तआला फरमाते हैं:

जल-थल में लोगों के कुकर्मों के कारण उपद्रव फैल गया ताकि अल्लाह तआला उनके कुछ करतूतों का फल चखाये। संभव है कि वह रूक जायें। (सूरे रूम-४१)

तथा चोर को हाथ काटने की सजा, बियाहता व्यभिचारी को रजम (संगसारी) की सज़ा, चोर और जानी (व्यभिचारी) के लिए तो उपद्रव है क्योंकि एक का हाथ नष्ट होता है एवं दूसरे की जान जाती है। परन्तु एक आधार से तो यह उनके लिए उपकार है कि पापों का निवारण होता हैं अल्लाह तआला उनके लिए लोक-परलोक की सज़ा इकटठा नहीं करते।

तथ दूसरे स्थान पर यह इस आधार से उपकार है कि इससे लोगों की सम्पतियां, प्रतिष्ठाओं एवं गोत्रों की रक्षा होती है।

❑❑❑

(प्रेस रिलीज़)

मुहर्रमुल हराम १४४७ का चाँद नज़र आ गया

दिल्ली, २६ जून २०२५

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ''मर्कज़ी अहले हदीस रूयते हिलाल कमेटी दिल्ली'' से जारी अखबारी बयान के अनुसार दिनांक २९ जुलहिज्जा १४४६ हिजरी अर्थात २६ जून २०२५ जुमेरात को मग्रिब की नमाज़ के बाद अहले हदीस कम्पलैक्स ओखला नई दिल्ली में ''मर्कज़ी अहले हदीस रूयते हिलाल कमेटी दिल्ली'' की एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई और जुलहिज्जा के चांद को देखने के सिलसिले में यथापूर्व देश के अधिकांश राज्यों की जमाअती इकाइयों के पदधारियों और समुदायिक संगठनों से फून के माध्यम से संपर्क किये गये जिसमें विभिन्न राज्यों से चांद को देखने की प्रमाणित खबर मिली। इस लिये यह फैसला किया गया कि दिनाँक २७ जून २०२५ जुमा के दिन मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख होगी।

इबादत करने से पहले के अहकाम

अब्दुल करीम अब्दुल मजीद अददीवान

१. तहारत

तहारत (पवित्रता) निम्नलिखित बातों पर आधारित हैः

क. गंदी चीज़ों से पाकी हासिल करनाः इसीलिए नमाज़ पढ़ने वाले का शरीर, जिस जगह नमाज़ पढ़ी जाए वह जगह और कपड़ा जिसे वह पहने हुआ है सबका गंदगी से (जैसे पेशाब, पैखाना और खून से) पाक होना ज़रूरी है।

ख. नापाकी (हदस) छोटे हदस से मुराद हर वह चीज़ें हैं जिनसे वजू टूट जाता है, जैसे पेशाब, पैखाना करना और हवा का निकलना इत्यादि।

२. बड़ा हदसः यानी हर वह चीज़ जो गुस्ल को वाजिब कर देती है, जैसे पत्नी के साथ संभोग करना, नाइटफाल हो जाना, माहवारी (हैज़) का आना, प्रसव रक्त (निफ़ास) का आना इत्यादि।

वजूः हदसे असग़र (जैसे पेशाब, पैखाना, हवा का ख़ारिज होना इत्यादि) से वाजिबी तौर पर पाकी हासिल करने का नाम है।

वजू का तरीकाः १. वजू करने वाला जुबान से अदा किए बगैर दिल से वजू की नीयत करेगा।

२. बिस्मिल्लाह कहेगा और दोनों हथेलियों को तीन बार धोयेगा।

३. फिर तीन बार कुल्ली करेगा और तीन बार नाक में पानी डालेगा।

४. फिर अपने चेहरे को तीन बार धोयेगा। चेहरा की सीमा यह हैः चौड़ाई में एक कान से लेकर दूसरे कान तक, और लम्बाई में सिर के बाल के उगने की जगह से लेकर ठुडडी (दाढ़ी) के अन्तिम भाग तक।

५. फिर दोनों हाथों को तीन बार धोयेगा (उंगलियों के किनारों से लेकर कोहनियों तक) दाहिने हाथ को पहले धोयेगा फिर बायें हाथ को धोयेगा।

६. फिर अपने सर का मसह एक बार इस तरह करेगा कि दोनों हाथो ंको पानी से भिगो लेगा, फिर दोनों हाथों को सर के अगले भाग से पिछले भाग तक ले जाएगा, फिर दोनों को अगले भाग तक वापस लाएगा।

७. फिर दोनों कानों का एक बार मसह करेगा।

८. फिर दोनों पैरों को उंगलियों के किनारे से लेकर टखनों तक धोयेगा, पहले दाहिने पैर को धोयेगा फिर बायें पैर को धोयेगा।

गुस्ल (स्नान)ः हदसे अकबर से (जैसे संभोग करने के बाद या माहवारी आने से अथवा प्रसव रक्त यानी निफ़ास का खून आने से) पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल करना वाजिब और ज़रूरी है।

गुस्ल करने का तरीक़ाः

१. गुस्ल करने वाला गुस्ल की नीयत दिल से करेगा, जुबान से गुस्ल की नीयत नहीं करेगा।

२. फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर अच्छी तरह वजू करेगा।

३. फिर तीन बार अपने सर पर पानी इस प्रकार बहाएगा कि सम्पूर्ण सर अच्छी तरह भीग जाए।

४. फिर अपने सम्पूर्ण शरीर पर पानी डालेगा।

तयम्मुम का बयानः यह वजू या गुस्ल के बदले में मिटटी से अनिवार्य पाकी हासिल करने का नाम है। यह उस व्यक्ति के लिए है जो पानी नहीं पाए या पानी का प्रयोग करना उसके लिए हानिकारक हो।

तयम्मुम करने का तरीक़ाः

तयम्मुम करने वाला अपने दिल से पाकी हासिल करने की नीयत करेगा (जैसे वज़ू या गुस्ल की नीयत) फिर दोनों हाथों से धरती पर या जिस पर मिटटी लगी हो जैसे दीवार इत्यादि पर एक बार मारेगा फिर दोनों हाथों से अपने चेहरे पर मसह करेगा, फिर एक हथेली से दूसरी हथेली पर महस करेगा।

माहवारीः उस खून को कहते हैं जो जवान होने के पश्चात महीला की बच्चेदानी से बहता है और निध ार्ारित समय में उसे प्रत्येक महीना आता है।

निफ़ास (प्रसव रक्त) निफ़ास उस खून को कहते हैं जो बच्चा पैदा होने के पश्चात महिला की यौनी से निकलता है।

माहवारी और निफ़ास की हालत में जिन चीज़ों का करना मना हैः

संभोग या मुबाशरत करनाः माहवारी या निफ़ास की स्थिति में किसी पति के लिए जाएज़ नहीं है कि वह अपनी पत्नी से संभोग करे।

नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, ख़ाना कअबा का तवाफ़ करनाः माहवारी वाली महिला या निफ़ास वाली महिला के लिए नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना और ख़ाना कअबा का तवाफ़ करना जाएज़ नहीं है। परन्तु पाक होने के बाद रोज़ा की कज़ा करेगी, नमाज़ की नहीं।

कुरआन छूना या कुरआन देखकर पढ़ना।

मस्जिद में प्रवेश करनाः माहवारी या निफ़ास वाली महिला के लिए मस्जिद में प्रवेश करना जाएज़ नहीं है।

तलाक़ः पति के लिए अपनी पत्नी को माहवारी या निफ़ास की हालत में तलाक़ देना जाएज़ नहीं है।

२. नमाज़

नमाज़ कलमा शहादत के बाद इस्लाम का सबसे अहम रूक्न (संतभ) है। यह इस्लाम का दूसरा रूक्न हैं जिसने इसे बिल्कुल ही छोड़ दिया वह काफ़िर हो गया। जब कोई मुस्लिम इस नमाज़ को पढ़ना चाहे तो उसकी नमाज़ उस समय तक सही नहीं होगी जब तक उसके तमाम शुरूत, अरकान और वाजिबात को अच्छी तरह अदा न करे। और यह बातें उसी समय मुमकिन है जब वह नमाज़ उस प्रकार पढ़े जिस प्रकार नबी स० ने पढ़ी है।

नमाज़ की शर्तेंः

नमाज़ की शर्तों से मुराद यह है कि नमाज़ अदा करने के लिए जो तैयारी की जाए और जिनके बग़ैर नमाज़ सही नहीं होती है, जब कोई शरई कारण नहीं हो। शर्तें निम्नलिखित हैंः

१. वज़ू के द्वारा हदसे असग़र (जैसे पेशाब, पैखाना और हवा खारिज होने इत्यादि) से पाकी हासिल करना।

२. हदसे अकबर (जैसे जनाबत, माहवारी और निफ़ास) से गुस्ल करके पाकी हासिल करना।

३. समय का दाखिल होनाः अतः नमाज़ का समय दाखिल होने से पहले नमाज़ सही नहीं होती है। उदाहरण स्वरूप जुहर की नमाज़ जुहर का समय दाखिल होने से पहले नहीं पढ़ी जाएगी। इसी प्रकार अन्य नमाज़ों का हाल है।

४. क़िब्ला की ओर चेहरा करके नमाज़ पढ़नाः अतः क़िब्ला की ओर से चेहरा फेर कर किसी अन्य ओर चेहरा करके नमाज़ पढ़ने से नमाज़ सही नहीं होती है। क़िब्ला से मुराद कअ्बा है।

५. शर्मगाह का छुपानाः शर्मगाह के अंगों में से किसी एक अंग के खुला रहने से नमाज़ नहीं होती है। (पुरूष की शर्मगाह नाफ से लेकर घुटना तक है और महिला की शर्मगाह चेहरा और हथेलियों के सिवा उसका सम्पूर्ण शरीर है)

६. नीयत करनाः नीयत कहते हैं जिस नमाज़ को पढ़ने के लिए नमाज़ी खड़ा हुआ है उस नमाज़ को अदा करने का संकल्प करना। नीयत का स्थान दिल है।

❑❑❑

मानवता का सम्मान और विश्व-धर्म

मौलाना असग़र अली इमाम महदी सलफी (तीसरी क़िस्त)

मदीना संधिः मानव-सम्मान पर आधारित सर्वप्रथम चार्टरः

मदीना संधि ऐतिहासिक एतबार से विशिष्ट हैसियत रखती है अपने अर्थ, परिणाम के एतबार से उच्चतम संवैधानिक विशेषताओं का संग्रह है। इस मुआहिदे (संधि) में अन्सार और मुहाजिरीन के अलावा मदीना के यहूद वगैरह भी शामिल थे। मदीना की इस संधि पर निगाह डालने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इसमें वह तमाम मौलिक विशेषताएं हैं जो एक आदर्श संविधान और संधि में होनी चाहिएं।

सबसे पहले इस्लामी राज्य में मदीना संधि के जरिए मुसलमान वासियों के साथ-साथ अल्पसंख्यकों के सभी अधिकारों को भी सुरक्षा प्रदान किया गया और इस संधि के में शामिल होने वाले वालों पर यह शर्त रखी गई कि वह दूसरे शहरियों के अधिकारों का ख्याल रखें और किसी भी तरह से अत्याचार के मुरतकिब ना हों इसके बदले उन्हें सभी नागरिक अधिकार जैसे आस्था की आजादी, इबादत का अधिकार, अपनी बात को आजादी के साथ रखने का हक और अम्न शांति और अम्न की सुविधा प्राप्त रहेगी और उन पर किसी तरह की जबरदस्ती का मामला रवा नहीं रखा जाएगा और वह किसी भी बाहरी और अंदरूनी खतरे और हमले में एक दूसरे के सहायक होंगे और दिफा करेंगे जैसा कि कुरआन में अल्लाह ताला ने फरमायाः दीन में कोई जबरदस्ती नहीं हिदायत और गुमराही में स्पष्ट अंतर हो चुका है पस जो तागूत का इंकार करें और अल्लाह पर ईमान ले आए तो उसने न टूटने वाला मजबूत सहारा थाम लिया और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जाने वाला है। (सूरे बक़राः २५४) यह संधि पिछले सभी संधियों से बिल्कुल अलग थी क्योंकि इसे मानवीय सामूहिक और नैतिक आधारों पर तैयार किया गया था इसमें मानव भाईचारा को बहुत अहमियत दी गई थी इसमें मानव सम्मान और इंसाफ को वरीयता दी गई थी और इसमें हर व्यक्ति को एक राज्य के शहरी होने का एजाज दिया गया था संयुक्त मामलात और मूल्यों को अहमियत दी गई थी जिसके नतीजे में पुराने जमाने से आपस में लड़ने वाले और मतभेदों के शिकार कबीले आपस में भाईचारा के बंधन में बंध गए जो रहती दुनिया तमाम इंसानों के लिए आदर्श बन गई। मदीना संधि धार्मिक एकता और धार्मिक उदारता की बेहतरीन मिसाल है इसमें तमाम लोगों को अपने धर्म पर अमल करने और अपने सिद्धांतों के अनुसार जीवन गुजारने का हक हासिल था। मानवीय अधिकारों का व्यापक नियम खुतबा हज्जतुल विदा

के ऐतिहासिक खुतबे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मानव अधिकार का जो महानतम चार्टर पेश किया वह मील के पत्थर की हैसियत रखता है जिसमें इंसानी अधिकारों और कर्तव्यों की पूरा सुरक्षा और समाहित किया गया है। १४०० साल पहले पेश किया जाने वाला यह चार्टर देश, नस्लों, कबीलों, रंगों, जुबानों और जमाने की सीमाओं से आजाद था और यह खुत्बा पूरी मानवता के तमाम कालों को अपने दामन में समेटे हुए है। इस आदर्श और बेमिसाल खुतबे में मानव अधिकार पर आधारित दफा शामिल है जो अम्न व शांति और मानवता के सम्मान की गारंटी लेती है बल्कि यह कहा जाए तो अतिश्योक्ति नहीं होगी यह खुत्बा इस्लामी शिक्षाओं का सारांश है जिसमें जीवन के हर गोशे और हर पहलू पर रोशनी डाली गई है ग्लोबलाइजेशन ऐतिहासिक महानता और मानवीय अधिकार की सुरक्षा के हवाले से इसकी अहमियत सर्वमान्य है इसकी वजह से इंसानियत को पहली मर्तबा इतना व्यापक और आदर्श चार्टर दिया गया यहां खुद पर दफावार सरसरी निगाह डाली जाती है ताकि इसकी अहमियत व महानता स्पष्ट हो सके।

(जारी)

❑❑❑

मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द की पत्रिकाओं का सदस्य बनाने के लिये सहयोग करें।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। जमीअत के तीन आर्गन निरंतर प्रकाशित हो रहे हैं।

जरीदा तर्जुमान पाक्षिक (उर्दू) 150 वार्षिक

इस्लाहे समाज मासिक (हिन्दी) 100 वार्षिक

दी सिम्पल ट्रुथ मासिक (अंग्रेज़ी) 100 वार्षिक

खुद भी पढ़ें और दूसरों को खरीदार बनवायें। यह एक मिशन है जिसको कामयाब बनाना हम सब की संयुक्त ज़िम्मेदारी है।

मौत से पाठ हासिल करो

मौलाना अब्दुल मन्नान शिकरावी

हमारे दिल कितने सख्त हो गए हैं गफलत कितनी आम हो गई है महीने और साल कितनी तेजी से गुजर गए जिन्हें हमने इच्छाओं और तमन्नाओं में बर्बाद कर दिया हमने कितने ही रिश्ते नातेदारों को मिट्टी में दफन कर दिया और कितने ही प्यारों और अपने करीबी लोगों को अलविदा कह दिया फिर हम दफन की मिट्टी को हाथों से झाड़ कर दुनिया की रंगीनियों में डूब गए यहां तक कि बाज मुसलमानों को तो आप देखेंगे कि गफलत और दिलों के सख्त होने के सबब जनाजे के साथ चलते हुए भी हंसी मजाक में मस्त रहते हैं ऐसा लगता है कि उनके नजदीक कुछ हुआ ही नहीं वह सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए जनाजे में शरीक हुए हैं। दो रात ऐसी है कि वह हर मुसलमान की मेमोरी में महफूज रहती है एक वह रात जिसमें इंसान अपने खानदान के साथ आराम सेहत व तंदुरुस्ती में था अपने बच्चों को हंसा रहा था उसके बच्चे उसे हंसा रहे थे दूसरी वह रात जिसमें इंसान ऐश तंदुरुस्ती ताकत और जवानी के नशे में चूर था कि अचानक उस पर बीमारी ने हमला कर दिया और ताकत कमजोरी में बदल गई खुशहाली गम में बदल गई। अब वह गुजरी हुई जिंदगी पर पछताते हैं कि कहां जिंदगी को बर्बाद कर दिया जमाने को कहां बर्बाद कर दिया। माल व दौलत याद आती है जिसे उसने जमा किया था जिन महलों को उसने बनाया था उनका ख्याल आता है अब उसे रुखसत होती हुई दुनिया का दुख होता है छोटे-छोटे बच्चों की बेबसी और लाचारी का ख्याल आता है अपने बाद जिनके बर्बाद होने का खदशा होता है अब बीमारी संगीन शक्ल अपना लेती है और दवा कुछ काम नहीं आ रही है। डॉक्टर भी परेशान है कि दवा कुछ काम नहीं कर रही है दोस्त और रिश्ते नातेदार सब मायूस होते जा रहे हैं। पवित्र कुरआन की जुबान में" मौत की बेहोशी हक लेकर पहुंची यही है जिससे तू बिदकता फिरता था अब बेहोशी का नुजूल होता है और अपने खानदान बाल बच्चों दोस्त पर नजर डालने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहा है सुन तो रहा है। बोल कुछ भी नहीं सकता आसपास बैठे बच्चे बेबसी में दोस्त और पड़ोसियों पर नजर डालता है कि वह उसे देख रहे हैं लेकिन इस स्थिति से उसे आजाद करने से असमर्थ्य हैं इसी स्थिति को कुरआन ने इस तरह बयां किया है "पस जबकि आत्मा नरखरे तक पहुंच जाए और उस वक्त तुम आंखों से देखते रहो हम उस शख्स की अपेक्षा तुम्हारे बहुत ज्यादा करीब होते हैं लेकिन तुम देखते नहीं हो। मौत की शक्तियों की स्थिति नियमानुसार जारी रहती है यहां तक की वक्त आ पहुंचता है और रूह निकल जाती है इंसान अपने बाल बच्चों की मौजूदगी में लाश की शक्ल एखतियार कर लेता है। (लेख का आंशिक भाग)

इस्लाम की शिक्षायें

संकलितः नौशाद अहमद

• जमाने की सौगंध, बेशक इंसान सरासर घाटे में हैं। लेकिन जो लोग ईमान लाये और नेक काम किया और दूसरों को हक बात और सब्र की वसियत की वह घाटे में नहीं। (कुरआन-सूरे अस्र)

• क्यामत के दिन पांच चीज़ों के बारे में सवाल किया जायेगा आयु के बारे में कि उसको कहां खर्च किया, जवानी के बारे में कि कैसे गुजारी, माल व दौलत के बारे में कि कैसे कमाया और कहां खर्च किया, इल्म (ज्ञान) के बारे में कि जो सीखा था उस पर कितना अमल किया।

• सफाई सुथराई ईमान का आधा हिस्सा है।

• झूठ तमाम बुराईयों की जड़ है।

• जब बंदा अपने पालन हार से माफी मांगता है तो वह उससे उतना ही खुश होता है जितना कि कोई अपने खाये हुये ऊंट को पा लेने के बाद खुश होता है।

• किसी प्राणी की हत्या न करो।

• मुसलमान मर्दों से कहो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त करें यही उनके लिये ज्यादा पाकीज़ा है लोग जो कुछ करेंगे अल्लाह सबसे खबर दार है। मुसलमान औरतों से कहो कि वह अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त करें। (सूरे नूर-३०-३१)

• मअ्क़िल बिन यसार रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः फितनों के जमाने में इबादत करना मेरी तरफ हिजरत के समान है। (मुस्लिम २६४८)

• दीन (धर्म) के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है।

• जमीन में फसाद न फैलाओ। (कुरआन-सूरः आराफ-५६)

• ऐ नौजवानों की जमाअत तुममें से जो शख्स औरतों के नान नफके (खिलाने पालने पोसने) की ताक़त रखता हो उसको चाहिये कि वह शादी कर ले क्योंकि शादी निगाह को नीची रखती है और शर्मगाह की हिफाज़त (सुरक्षा) करती है।

• जो किसी वारिस को उसके मीरास (पैत्रिक संपत्ति) के अधिकार से वंचित कर देगा अल्लाह जन्नत से उसकी मीरास ख़त्म कर देगा।

• हर जानदार को मौत का मजा चखना है अर्थात हर जानदार को मौत आनी है। (कुरआन)

• दो आंखों को जहन्नम की आग नहीं छू सकती, एक वह आंख जो अल्लाह (ईश्वर) के डर से रो दे और एक वह आंख जो अल्लाह की राह में पहरेदारी में रात गुजारे।

• अललाह तआला आंखों की खियानत और दिलों की छिपी हुयी बात को जानता है।

• एक आदमी ने संदेष्टा मुहम्मद से पुण्य और पाप के बारे में पूछा तो आपने फरमायाः पुण्य अच्छे आचरण (अख़लाक़) का नाम है और पाप तो वह है जो तुम्हारे दिलों में खटके और तुम लोगों को

उससे आगाह (खबर) देने को ना पसंद करो। (तिर्मिजी)

• संदेष्टा मुहम्मद स० हमेशा दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह तूने मेरी शक्ल (मुख) अच्छी बनायी है मेरे आचरण को भी अच्छा बना दे।

• रास्ते से हानिकारक चीजों को हटाना पुण्य का काम है। तुम जमीन (धर्ती) वालों पर रहम (दया) करो अल्लाह तुम पर दया करेगा।

• अल्लाह जब किसी चीज का इरादा करता है तो उससे कहता है कि हो जा, तो वह हो जाती है। (सूरे यासीन-८२)

• जालिमों का न कोई दिली दोस्त होगा और न ऐसा कोई सिफारिशी, जिस की बात मानी जायेगी। (कुरआन-सूरःतगाबुन-६)

• सबसे ज्यादा बरकत वाली शादी वह है। जिसमें कम से कम खर्च हो। (अहमद)

• ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरो और सीधी सीधी (सच्ची) बातें किया करो। (सूर अहजाब-६९)

• और अंधा और आंखों वाला बराबर नहीं और न अंधेरा और न उजाला और न छांव न धूप और जिंदों और मुर्दे बराबर बराबर नहीं हो सकते अल्लाह जिसको चाहता है सुनवा देता है। (सूरेः फातिर-२०)

• किसी ऐसी चीज के पीछे न लगो जिसका तुम्हें ज्ञान (इल्म) न हो, निसंदेह, आंख, कान और दिल सब ही की पूछ ताछ होगी। (कुरआन)

• इंसान झूठ बोलता रहता है तो उसके दिल में काला नुकता लगा दिया जाता है यहां तक कि पूरा दिल काला हो जाता है तो वह अल्लाह के यहां झूठों में लिख दिया जाता है।

• जिसने किसी व्यक्ति को किसी की हत्या के बदले या जमीन में उपद्रव फैलाने के अतिरिक्त किसी और कारण से हत्या की तो मानो उसने सभी इंसानों की हत्या कर दी और जिसने किसी की जान बचायी उसने मानो सभी इंसनों को जीवन दान दिया (५:३२-कुरआन)

• हमने समस्त मावजाति को प्रतिष्ठित एंव सम्माननीय बनाया है केवल मुसलमानों और विशेष जाति को नहीं (कुरआन १७:७०)

• किसी प्राणी की हत्या न करो जिसे अल्लाह ने वर्जित ठहराया है यह और बात है कि न्याय की यही अपेक्षा हो। (कुरआन १७:३०)

जब भी लोगों के बीच फैसला करो तो न्याय पूर्वक फैसला करो। (कुरआन-४:५८)

• ऐ लोगों जो ईमान लाये हो अल्लाह के लिये सत्य पर जमे रहने वाले और न्याय की गवाही देने वाले बनो। किसी गिरोह (गुट) की दुश्मनी तुमको इतना उत्तेजित न कर दे कि तुम इंसाफ करना छोड़ दो, इंसाफ करो, यह तक़्वा (धर्म परायणता) से अधिक निकट है। (कुरआन ५:५८)

• नवास बिन समआन रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः नेकी अच्छी आदत है और गुनाह वह है जो तुम्हारे दिल में खटके और लोगों को इस गुनाह की खबर होना तुम्हें नापसन्द हो। (मुस्लिम २५५३)

• नवास बिन समआन रज़ियल्लल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः क्यामत के दिन कुरआन, उसके पढ़ने वाले और उस पर अमल करने वालों को लाया जायेगा उस वक्त सूरे बकरा और आले इमरान उस के आगे आगे होगी। (मुस्लिम ८०५)

रिज़ाअत

डा० प्रोफेसर मुहम्मद ज़ियाउर्रहमान आज़मी

रिज़ाअत का अर्थ है औरत का अपने बच्चे को अपना दूध पिलाना। एक आयत से पता चलता है कि दूध पिलाने की अवधि दो वर्ष है। (देखिएः सूरा-२, अल-बकरा, आयत-२३३) चाहे यह दूध माँ अपने बच्चे को पिलाए, या दूसरे के बच्चे को। पहली दशा में या तो वह अपने पति के संग होगी, या उससे तलाक़ लेकर अलग हो गई होगी। इस दूसरी दशा में दूध पिलाने के विषय में पवित्र कुरआन में विस्तृत वर्णन मिलता है-

''जो चाहे कि बच्चा दूध पीने की पूरी अवधि तक दूध पिए, तो मांए पूरे दो वर्ष अपने बच्चों को दूध पिलाएं। और वह, जिसका बच्चा है, सामान्य नियम के अनुसार उन स्त्रियों के खाने और उनके कपड़े का ज़िम्मेदार है। किसी पर उसकी कमाई से बढ़कर ज़िम्मेदारी नहीं। न किसी मां को उसके बच्चे के कारण तकलीफ़ देनी चाहिए और न किसी बाप को उसके बच्चे के कारण-उसके उत्तराधिकारी पर भी इसी तरह की ज़िम्मेदारी है- और यदि दोनों अपनी खुशी और सम्मति से (दो वर्ष से पूर्व ही) दूध छुड़ाना चाहें तो उनके लिए कोई दोष नहीं, और यदि तुम अपने बच्चों को किसी अन्य स्त्री से दूध पिलवाना चाहो तो इसमें भी कोई दोष नहीं, जबकि तुम्हें जो कुछ देना है सामान्य नियम के अनुसार चुका दो। और अल्लाह का डर रखो। और जान लो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह देखता है। (सूरा-२, अल-बकरा, आयत-२३३)

इस आयत में रिज़ाअत की कई समस्याओं की ओर संकेत किया गया है उनमें से कुछ ये हैंः

१. ऐसी मांएं जो तलाक़ के कारण अपने पति से अलग हो गई हों, परन्तु उनका बच्चा अभी दूध पीने की अवस्था में ही हो तो माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाने का अधिक अधिकार है।

२. अगर माता-पिता के बीच दूध पिलाने की अवधि में मतभेद हो जाए तो इसकी अधिक से अधिक अवधि दो वर्ष है।

३. पवित्र कुरआन में है-

उसके गर्भ की अवस्था में रहने और फिर दूध छुड़ाने की अवधि तीन माह है। (सूरा-४६, अल-अहकाफ, आयत-१५)

अगर इसमें दो वर्ष दूध पिलाने का मान लें तो गर्भ की अवधि छह महीने बनती है। इसलिए अगर कोई स्त्री ब्याह के छह माह बाद बच्चे को जन्म दे, तो यह बच्चा सही माना जाएगा। और उस स्त्री पर कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा।

४. माता-पिता दो वर्ष दूध पिलाने से पहले ही आपस की साझेदारी से दूध छुड़ाना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। और इसमें कोई दोष नहीं।

५. अगर किसी स्त्री ने किसी दूसरे के बच्चे को दो वर्ष की उम्र के बाद दूध पिलाया, तो इससे रिज़ाअत सिद्ध नहीं होगी। अर्थात वह बच्चा

दूध पिलाने वाली स्त्री के बच्चों का भाई, या बहन नहीं बन सकता। जबकि सहीह हदीस में आया है-

''रिज़ाअत (दूध पिलाने) से भी रिश्ते (निकाह के लिए) हराम हो जाते हैं जैसे वंश से हराम होते हैं।'' (बुख़ारी, २६४५, तथा मुस्लिम १४४७)

यह आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने उस समय फ़रमाया जब आपके चचा हमज़ा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो की पुत्री से लोगों ने विवाह करने को कहा, तो आपने फ़रमाया-

''यह मेरे लिए हलाल नहीं है क्योंकि रिज़ाअत से भी रिश्ते उसी तरह हराम हो जाते हैं जिस तरह वंश से होते हैं। यह मेरे रिज़ाई भाई की पुत्री है।''

अर्थात आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने और आपके चचा हमज़ा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो ने एक स्त्री का दूध पिया था, जिसके कारण आप दोनों दूध शरीक भाई बन गए। इसी प्रकार की एक घटना का और वर्णन आता है। नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की पत्नी उम्मे-हबीबा ने, जो अबू-सुफ़यान की बेटी थीं, कहा, ''ऐ अल्लाह के रसूल क्या आप अबू-सुफ़यान की बेटी से विवाह करना पसन्द करेंगे?'' नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने पूछा, ''क्या तुम ऐसा चाहती हो?'' उन्होंने कहा, ''क्यों नहीं, मैं चाहती हूं कि मेरी बहन भी मेरे साथ आपकी पत्नियों में से हो।'' आपने फ़रमाया, ''यह मेरे लिए जायज़ नहीं है।'' (अर्थात दो बहनों को एक साथ निकाह में रखना इस्लाम में जायज़ नहीं) उन्होंने कहा, ''मैंने सुना है कि आप उम्मे-सलमा (जो नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की पत्नी थीं) की बेटी से विवाह करने वाले हैं।''

इस पर नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः ''उम्मे-सलमा की बेटी अगर मेरी गोद में न पलती (अर्थात रबीबा न होती) तब भी वह मुझ पर हराम है, क्योंकि वह मेरे रिज़ाई भाई की बेटी है। मुझे और इसके पिता को सुवैबा ने दूध पिलाया है।''

फिर आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

''अपनी बेटियों और बहनों से विवाह करने को मत कहो।'' (बुख़ारी, ५१०६ तथा मुस्लिम, १४४६)

परन्तु जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि यह दूध दोनों ने दो वर्ष की अवस्था से पहले पिया हो। और अगर दो वर्ष की अवस्था के बाद किसी ने दूध पिया हो तो उससे रिज़ाअत सिद्ध नहीं होती।

जैसा कि एक हदीस में आया है-

''उसी रिज़ाअत से हुरमत सिद्ध होती है जो छाती से निकलकर सीधे मेदे में चला जाए, और यह दूध छुड़ाने से पहले हो।'' (तिर्मिज़ी, ११५२)

यह हदीस उम्मे-सलमा से उल्लिखित है, परन्तु इसी भावार्थ की और दूसरी हदीसें भी हैं जिनको मिलाकर देखने से यही सिद्ध होता है जो इस हदीस में बताया गया है। अधिकतर विद्वानों का यही विचार है। केवल एक दशा इससे अलग है यह कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बड़ा हो गया हो, परन्तु उससे परदा करने या अज़नबियों की तरह रहने में कष्ट हो रहा हो तो शैखुल-इस्लाम इब्ने तैमिया जैसे कुछ विद्वानों ने इजाज़त दी है कि उसको दूध पिला

दिया जाए, ताकि दूध पिलाने वाली स्त्री उसकी माँ, और उसके बच्चे उसके भाई बहन बन जाएं।

इसी प्रकार की एक घटना का वर्णन सहीह हदीसों में आता है। अबू-हुज़ैफ़ा की पत्नी सहला-बिन्ते सुहैल नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास आई, और कहा, "ऐ अल्लाह के रसूल सालिम, जिसको हमने अपना बेटा बना लिया है, अब नौजवान हो चुका है और मेरे पास आता रहता है जिसके कारण अबू हुजैफ़ा कुछ अप्रसन्न दिखाई देते हैं।" तो आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

अर्थात दूध बर्तन में निकालकर पिला दो। फिर सहला ने ऐसा ही किया जिसके कारण अबू-हुज़ैफ़ा की अप्रसन्नता दूर हो गई। परन्तु कुछ विद्वानों ने इसको सहला-बिन्ते सुहेल के लिए ख़ास माना है। यह दूसरों के लिए नहीं है।

६. एक या दो बार दूध पिलाने से रिज़ाअत सिद्ध नहीं होती जैसा कि एक सहीह हदीस में आया है। (देखिएः सहीह मुस्लिम १४५०) बल्कि सहीह यह है कि पाँच बार या कम से कम तीन बार, दूध पिलाया जाए तब रिज़ाअत सिद्ध होगी। जैसा कि सहीह मुस्लिम १४५२ में आया है। इसके लिए यह आवश्यक है कि बच्चा रिजाई माँ की छाती से उसका दूध पिए। एक सहीह हदीस में आया है।

"रिज़ाअत उस समय सिद्ध होगी जब भूख की दशा में बच्चे को दूध पिलाया जाए।" (ताकि वह भर पेट दूध पी ले) (बुखारी २६४७ तथा मुस्लिम १४५५)

७. जिस प्रकार रिज़ाई बाप अपनी रिज़ाई बेटी से विवाह नहीं कर सकता उसी प्रकार रिज़ाई बाप का भाई भी अपनी रिज़ाई भतीजी से विवाह नहीं कर सकता क्योंकि वह रिज़ाई चचा कहलाए गा।

एक सहीह हदीस में आता है कि अबू कुएस नामक व्यक्ति की पत्नी ने आइशा को दूध पिलाया था। अबू कुएस का भाई अफ़लह आइशा के पास आया, उस समय परदे का आदेश आ चुका था। इसलिए आइशा ने उसके सामने आने से मना कर दिया, ताकि इस विषय में पहले नबी से पूछें।

नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के आने के बाद उन्होंने अफ़लह के विषय में पूछा तो नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमायाः

"यह तुम्हारा चचा है, इसके तुम्हारे पास आने में कोई हरज नहीं है।" (बुख़ारी २६४४ तथा मुस्लिम १४४५)

८. अगर तलाक़ या किसी अन्य कारण से स्त्री अपने पति से अलग हो जाती है तो बच्चे को दूध पिलाने के बदले पति को दूध का मुआवज़ा देना पड़ेगा, उस अवधि में औरत के लिए रोटी, कपड़ा और मकान का भी प्रबन्ध करना पड़ेगा। इसका नियम यह होगा कि जो जितना धनवाला होगा, उसी स्तर के अनुसार उसे ख़र्च देना पड़ेगा।

९. बच्चे के माता-पिता दोनों पर हराम है कि बच्चे के कारण एक-दूसरे को कष्ट पहुंचाएं जैसे मां अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहती है, परन्तु उसका बाप दूध पिलाने से रोक रहा है जो मां की ममता के विरूद्ध है। इसके कारण माँ को हार्दिक और शारीरिक कष्ट उठाना पड़ता है।

इसी प्रकार बाप चाहता है कि मां अपने बच्चे को दूध पिलाए परन्तु

मां ऐसा करने से इनकार कर देती है और बच्चे को दूध पलावाने के लिए अन्ना या दूध पिलाने वाली औरत तलाशना बच्चे के बाप के लिए कठिन काम साबित हो रहा है। इसी प्रकार अगर मां बच्चे को दूध पिलाने के बदले इतनी उजरत लेने पर तैयार है जितनी कोई और लेती है, फिर भी बाप बच्चे को मां से छीन कर किसी दूसरी स्त्री को दूध पिलाने के लिए नियुक्त कर देता है, तो यह भी हराम है, क्योंकि इससे मां को बहुत कष्ट पहुंचेगा। इसी प्रकार पिता नियम के अनुसार मां को उजरत देने के लिए तैयार है, परन्तु बाप को कष्ट पहुंचाने के लिए मां बच्चे को बाप के घर छोड़कर चली जाती है, जिससे बाप को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। ये दोनों दशाएं हराम हैं।

१०. अगर बाप का देहान्त हो जाता है तो बच्चे के अभिभावकों पर अनिवार्य है कि बच्चे को दूध पिलाने के सम्बन्ध में वही करें जो बच्चे का बाप होते हुए किया जा सकता था, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, ताकि न तो बच्चे की माता को कोई कष्ट पहुंचे और न ही माता की ओर से अभिभावकों को कोई कष्ट पहुंचे।

११. अगर माता-पिता अपनी सहमति से बच्चे का दूध दो वर्ष से पहले छुड़ाना चाहें, और दूध के स्थान पर अन्य भोज्य पदार्थ देना चाहें, तो इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर दोनों इस पर सहमत न हो सकें तो दो वर्ष से पहले दूध छुड़ाना वर्जित है।

१२. इसी प्रकार अगर दोनों अपनी सहमति से किसी और से दूध पिलवाना चाहें तो इसमें भी कोई हरज नहीं है, विशेषकर ऐसी दशा में जब मां कहे "मेरा दूध आना बन्द हो गया है।" परन्तु पिता के लिए यह अनिवार्य है कि जितने दिनों तक माँ ने दूध पिलाया है, उसकी उजरत नियमानुसार दे।

सूरा २, अल-बकरा, आयत २३३ से जो बातें सिद्ध हुई हैं, उनका यहां वर्णन कर दिया गया है। अब माता-पिता के लिए यह अनिवार्य है कि इन आदेशों को ध्यान में रखें और अल्लाह से डरते रहें अर्थात दोनों में से कोई भी किसी पर अत्याचार न करे, ताकि उसके कारण बच्चे को कोई नुक़सान न पहुंचे।

इस्लाहे समाज
खरीदारी फार्म

पत्रिका को घर पर मंगवाने के लिये अपने पते में निम्न विवरण ज़रूर लिखें।

नाम.....

पिता का नाम.....

स्थान.....

पोस्ट आफिस.....

वाया.....

तहसील.....

जिला.....

पिन कोड.....

राज्य का नाम.....

मोबाइन नम्बर.....

अपना मनी आर्डर इस पते पर भेजें।

आफिस का पताःअहले हदीस मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6

बैंक और एकाउन्ट का नामः

Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind

A/c No. 629201058685 (ICICI Bank) Chani Chowk, Delhi-6

RTGS/NEFT/IFSC CODE ICIC0006292

नोटः-बैंक द्वारा रक़म भेजने से पहले आफिस को सूचित करें।

डा० अबुल हयात के निधन पर मर्कज़ी जमीअत अहले हिन्द के अध्यक्ष महोदय ने शोक व्यक्त किया

मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द से जारी एक बयान में मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अध्यक्ष मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सल्फी ने अहले हदीस जमाअत की प्रसिद्ध हस्ती स्कॉलर कई किताबों के लेखक, मशहूर कलमकार और शिक्षाविद मर्कजी जमीअत की कार्य समिति व सलाहकार समिति के सदस्य और उसकी अंग्रेजी पत्रिका के एडीटर डॉ अब्दुल हयात अशरफ के इंतेकाल पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है और उनकी मौत को जमाअत और मुल्क व समाज का बड़ा खसारा करार दिया है जिन का लगभग ८५ साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद गाजियाबाद में २१ जून को निधन हो गया।

पश्चिम चंपारण की प्रसिद्ध बस्ती दोस्तिया के अंदर अहले हदीस जमाअत के एक दीनदार खानदान में डॉक्टर साहब की पैदाइश हुई आपके पिता मौलाना सदाकत हुसैन का शुमार देश के महान ओल्मा में होता था उन्होंने ४० साल से अधिक कुरआन और हदीस का दर्स दिया और कई सालों तक बुखारी मुस्लिम का पाठ दिया इस तरह आप ने इल्मी माहौल में परवरिश पाई। आप बिहार के मदरसा इसलाहुल मुस्लिमीन पटना और दारुल उलूम मोहम्मदिया सलफिया दरभंगा के प्रमुख छात्रों में से थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा के बाद यहाँ से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। अरबी उर्दू के सिवा अंग्रेजी जुबान पर पूरी महारत हासिल थी। आप अंग्रेजी जुबान और कलम के माहिर थे नाइजीरिया अफ्रीका में उन्होंने शिक्षा दावत और सुधार का काम अंग्रेजी जुबान में किया। डॉक्टर साहब को अल्लाह तआला ने बड़ी खूबियां दी थीं आप एक नेक स्वभाव, इल्म दोस्त, ओलमा के कदरदां और जमाअतों व एदारों के शुभचिंतक थे। अत्यंत चरित्रवान, वक्त की पाबंदी उनकी पहचान थी। नाइजीरिया में बहुत दिनों तक दावत और तालीम से जुड़े रहे। आपकी कुछ किताबें वहां के स्कूलों में पढ़ाई जा रही थीं वहां से लौटने के बाद दिल्ली को अपना घर बनाया और जुबान और कलम के जरिए देश, समुदाय और जमाअत की खिदमत की। उनका महत्वपूर्ण हस्तियां और संगठनों से गहरा ताल्लुक था और वह छात्रों टीचरों के महान उपकारक थे। जमाअत के कामों से बड़ी दिलचस्पी रखते थे और मरकजी जमीअत के मकसद और कामों से ऐसी लगन थी कि बुढ़ापे और दिल के मरीज होने के बावजूद लगभग २० साल से पाबंदी के साथ मैगज़ीन की ज़िम्मेदारी अदा करते रहे आपने इन २० सालों में अंग्रेजी मैगजीन के कई विशेष अंक भी प्रकाशित किये। मर्कजी जमीअत ने उनकी बहुमूल्य दीनी तालीमी और जमाअती सेवाओं के एतराफ में अपनी ३५वीं ऑल इंडिया अहले हदीस कांफ्रेंस के मौके पर अवार्ड का पात्र करार दिया था। डॉक्टर साहब मुझे काफी मोहब्बत फरमाते थे और मरकजी जमीअत की व्यापक सेवाओं को देखकर बहुत खुश होते थे।

आप देश व समुदाय के तमाम मसाइल पर गहरी नजर रखते थे और उनके हल के लिए प्रयासरत रहते थे निसंदेह देश समुदाय और जमाअत के लिए उनकी बहुमूल्य सेवाएं ना काबिले फरामोश हैं और नई नस्ल के लिए मार्गदर्शक हैं उनकी वफात न केवल उनके परिवार बल्कि पूरी जमाअत और देश समाज का बड़ा खसारा है जिसकी क्षतिपूर्ति बाजाहिर मुश्किल नजर आती है उनके पसमाँदगान में दो बेटे पांच बेटियां और पोते, निवासी निवासे हैं हम उनके परिवार के गम में बराबर के शरीक हैं और अल्लाह तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तआला मरहूम की गलतियों को माफ फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और परिवार के सभी लोगों को सब्र और जमाअत को उनका अच्छा विकल्प दे जनाजे की नमाज मर्कजी जमीअत के अमीर महोदय ने पढ़ाई दिल्ली के दिल्ली गेट कब्रिस्तान में उनकी तदफीन हुई मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अन्य पदधारियों ने मरहूम के परिवार वालों और उनके संबंधियों से शोक प्रकट किया है।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस के ज़ेरे एहतमाम

21वाँ आल इंडिया मुसाबक़ा

हिफ्ज़ व तजवीद और तफसीर

कुरआन करीम

दिनांक 4-5 अक्टूबर 2025

शनिवार-रविवार

स्थानः डी-254, अहले हदीस

कम्लेक्स ओखला, नई दिल्ली-25

रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 28 सितंबर 2025

एक उम्मीदवार केवल एक ही

श्रेणी में भाग ले सकता है फार्म मर्कज़ी

जमीअत की वेब साइट

www.ahlehadees.org से डाउन लोड किया

जा सकता है।

अधिकृत जानकारी के लिये सम्पर्क करें।

मुसाबका हिफ्ज व तजवीद व तफसीरे कुरआन कमेटी

011-23273407, 9213172981, 8744033926

Email.

Jamiatahlehadeeshind@hotmail.com

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की कार्यसमिति के सत्र में पहलगाम में आतंकी हमले की कड़ी निन्दा, सऊदी अरब के क्षेत्र में परिस्थितियों को रूटीन पर लाने के प्रयासों की प्रशंसा

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अध्यक्ष मौलाना असग़र अली इमाम महदी सलफी की अध्यक्षता में मर्कज़ी जमीअत की कार्यसमिति का सत्र आयोजित हुआ जिस में देश के अधिकांश राज्यों से कार्यसमिति के सदस्यगण, राज्य इकाइयों के पदधारी और विोश आमंत्रित सदस्यों ने बड़ी तादाद में प्रति भाग लिया।

सत्र से संबोधित करते हुए मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अध्यक्ष मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी ने कुरआन व हदीस का अनुसरण, एकता, परहेगज़गारी, भाईचारा, अच्छे आचरण और मध्यमार्ग की अहमियत और सार्थकता पर प्रकाश डाला और सामप्रदायिक सौहार्द, मानव-मित्रता और इस्लाम की बहुमूल्य और उज्जवल शिक्षाओं से देश बंधुओं को परिचित कराने की आवश्यकता पर विशेष रूप ज़ोर दिया हर तरह के आतंकवाद, अशान्ति, धार्मिक नफ़रत और उत्तेजना की कड़े शब्दों में निन्दा की और समुदाय को संयम, हिम्मत, मनोबल और बुद्धिमत्ता के साथ बेहतरीन समुदाय होने का कर्तव्य निभाने का उपदेश दिया।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के महा सचिव मौलाना मुहम्मद हारून सनाबिली ने अपने स्वास्थ के बेहतर न होने के बावजूद सत्र में प्रतिभाग लिया और मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की कार्यकरदगी और कांफ्रेन्स की रिपोर्ट पेश की जिसकी सदस्यों ने पुष्टि की और मौलाना के स्वास्थ के बेहतर होने पर हर्ष व्यक्त किया। इसके बाद मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के कोषाध्यक्ष हाजी वकील परवेज़ ने जमीअत व कांफ्रेन्स के हिसाबात पेश किये। जिनपर हाउस ने संतुष्टि व्यक्त की। इस सत्र में मानवता, राष्ट्र, व समुदाय और विश्व समस्याओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्ताव और क़रारदाद पास हुए।

क़रारदाद का मूल लेख यह है।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की कार्य समिति का यह सत्र एकेश्वरवाद आस्था को अपनाने, अपने धार्मिक कर्तव्यों पर मज़बूती से कायम रहने शरई अहकाम की पाबन्दी की तलकीन और ज़ोर देते हुए इस्लामी शिक्षाओं के सिलसिले में फैली भ्रांतियों और सन्देहों के निवारण को समय की आवयश्यकता और महत्वपूर्ण ज़रूरत क़रार देता है।

❑ कार्य सीमित का यह सत्र अन्तरधर्मीय वार्ता की अहमियत के दृष्टिगत विश्व-समुदाय से अपील करता है कि वह अम्न व शान्ति और सह अस्तित्व की ज़रूरत व अहमियत को समझते हुये इस तरफ ध्यान दें और किसी भी मसले को निजी लाभ के बजाये मानवता के

लिये लाभ के दृष्टिकोण से देखें ताकि यह दुनिया भाईचारा और अम्न व शान्ति का स्थल बन सके और कठिनाइयों से छुटकारा पा जाये।

❑ कार्य समिति का यह सत्र समुदायिक व समाजी संगठनों और सम्माननीय ओलमा से अपील करता है कि वह एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप से बचें और अहम समुदायिक मामलों के समाधान में आपसी मश्वरा व सहयोग से सहमति बनाने की कोशिश करें ताकि समुदायिक एकता व सामूहिकता काइम रहे और उम्मत आपसी बिखराव से सुरक्षित रह सके।

❑ कार्य समिति का यह सत्र वक़्फ संशोधन एक्ट को भारतीय संविधान की आत्मा के प्रतिकूल क़रार देते हुए इसको लागू करने को उम्मत के लिये सख्त नुक्सान देह क़रार देता है क्योंकि इसके द्वारा वक़्फ संपदा में खुर्द बुर्द और अवैध तरीक़े से क़बजों का रास्ता प्रशस्त होगा। औक़ाफ़ की ज़मीनों या उन पर बनी इमारतें सुरक्षित नहीं रहेंगी और वक़्फ़ जो कि ख़ालिस एक शरई मसला है इसमें अनुचित हस्तक्षेप किया जा सकेगा इसलिये यह सत्र सरकार से मांग करता है कि बिना देर किये कानून को ख़तम करके संविधान की आत्मा को बाकी रखने की ज़िम्मेदारी निभाए और जो लोग वक़्फ़ जमीनों पर कबज़ा जमाए और हस्तक्षेप कर रहे हैं या उनके साथ ख्यानत कर रहे हैं उनको उनके अपराध के अनुसार सजा दे।

❑ कार्य समिति का यह सत्र एन.सी.ई.आर.टी. कोर्स से शासकों के उज्जवल इतिहास के हिस्सों को डिलीट किये जाने को भारत की उज्जवल तारीख को विकृत करने से परिभाषित करते हुए इस पर अपनी चिंता का इज़हार करता है और सरकार से मांग करता है कि वह इस तरह की कार्रवाइयों से बचे और प्रिय देश की रोशन तारीख को विकृत होने से बचाये क्योंकि यह किसी भी तरह देश के हित में नहीं है और न हमारी तारीख़ व संस्कृति से मेल खाता है।

❑ कार्य समति के इस सत्र का एहसास है इस्लामी मदर्से कौम व मिल्लत के सेवक हैं और गरीब बच्चों की शैक्षणिक ज़रूरत पूरी करने में महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं इसके बावजूद बाज़ राज्य सरकारें उनकी शिक्षा को स्तरीय और गैर कानूनी बता कर उन्हें बन्द और ढ़ा रही हैं जो कि गरीब बच्चों के भविष्य से खेलवाड़ और सविधान के ज़रिये अल्पसंख्यकों को अपनी पसन्द के अनुसार संस्था काइम करने का जो अधिकार दिया है उसको छीनने की कोशिश है।

❑ कार्य समिति का यह सत्र उत्तराखण्ड सरकार के द्वारा समान नागरिक संहिता के लागू करने को सविधान में दर्ज बुनियादी अधिकारों की स्पष्ट खिलाफ वर्जी क़रार देते हुए इसको वापस लेने की मांग करती है क्योंकि भारत एक धर्मनिप्रेक्ष देश है अर्थात सरकार का कोई धर्म नहीं है और लोग किसी भी आस्था की पैरवी करने के लिये आज़ाद है और उन्हें पूरे तौर पर धार्मिक आज़ादी हासिल है इसके अलावा जब देश में एक स्वैच्छिक सिविल कोड पहले ही से मौजूद है तो यूनीफार्म सिविल कोड की कोई ज़रूरत नहीं है।

❑ कार्य समिति का यह सत्र उच्चतम न्यायालय के उस फैसले का दिल की गहराइयों से स्वागत करता है जिसमें उसने स्पष्ट किया है कि उर्दू कोई गैर मुलकी जुबान नहीं है

बल्कि उसकी जड़े भारत की सरजमीन में पेवस्त हैं क्योंकि यह यहीं पैदा हुई और यहीं पली बढ़ी। यह विभिन्न संस्कृतियों के आपसी संपर्क से वजूद में आई और वक़्त के साथ शायरी साहित्य और सभ्यता की एक उच्च भाषा बन गई। सम्माननीय अदालत ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि भाषा का बुनियादी मक़सद राबता है न कि लोगों को तक़सीम करना इसी तरह भाषा किसी धर्म का प्रतिनिधत्व नहीं करती।

❑ कार्य समिति का यह सत्र इतिहासिक धार्मिक स्थल सुरक्षा एक्ट १९९१ ई० के बावजूद सांप्रदायिक तत्वों के द्वारा आये दिन धार्मिक स्थलों को विवादास्पद बनाने के रूझहान को चिंता की निगाह से देखता है और इसे सरासर संविधान की खिलाफ वर्जी तसौउर करता है। इस सिलसिले में सरकारों और अदालतों को अपना सकारात्मक रोल अदा करने की ज़रूरत है ताकि संविधान व कानून का वर्चस्व और अम्न व अमान का वातावरण क़ाइम रहे और देश की सेकुलर क्षवि को भी नुक़सान न पहुंचे। (जरीदा तर्जुमान १-१५ जून २०२५)

(जारी)

❑❑❑

पाठक गण ध्यान दें

1-जल्द से जल्द बकाया राशि भेज दें। 2-अगर आपको हर महीने की 5 तारीख को पत्रिका न मिले तो इसके बारे में कार्यालय को सूचित करें। न मिलने की सूरत में दूसरी कापी भेजी जायेगी, लेकिन शिकायत करने से पहले अपने नजदीकी डाकखाने पर जानकारी हासिल कर लें। 3-नये खरीदारों से अनुरोध है कि अपने पते में फोन नम्बर अथवा मोबाइल नम्बर और पिन कोड भी लिखें। 4-पुराने खरीदारों से अपील की जाती है कि यदि उनका कोई फोन नम्बर या मोबाइल नम्बर हो तो पोस्ट कार्ड पर या फोन के जरिये अपने खरीदारी नम्बर का हवाला देकर अवश्य भेज दें ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे सम्पर्क किय जा सके। 5- मनी आर्डर या हमारे प्रतिनिधियों के माध यम से पत्रिका के सदस्य बनने वालों को यह सूचित किया जाता है कि रसीद कटवाने के बाद दूसरे महीने ही में पत्रिका भेजी जायेगी। 6- किसी भी तरह की शिकायत के लिये इस नम्बर पर संपर्क करें। 7. नए और पुराने सदस्यों से अुनरोध है कि नक़द पैसा कोरियर और जनरल डाक से न भेजें। इसलाहे समाज के बारे में किसी भी तरह की शिकायत के लिये 3 बजे से 5 बजे तक फून करें। 011-23273407

Posted On 24-25 Every Month
Posted At LPC, Delhi
RMS Delhi-110006
"Registered with the Registrar of Newspapers for India"

JULY 2025
RNI - 53452/90
P.R.No.DL (DG-11)/8065/2023-25

ISLAH-E-SAMAJ

4116, Urdu Bazar, Jama Masjid, Delhi-110006

अहले हदीस मंज़िल की तामीर व तकमील के सिलसिले में

सम्माननीय अइम्मा, खुतबा, मस्जिदों के संरक्षकों और जमईआत के पदधारियों से पुरजोर अपील व अनुरोध

अहले हदीस मंज़िल में चौथी मंज़िल की ढलाई का काम हुआ चाहता है और अन्य तीनों मंज़िलों की सफाई की तकमील के लिये आप से अनुरोध है कि आने वाले जुमा में नियमित रूप से अपनी मस्जिदों में इसके सहयोग के लिये पुरज़ोर एलान फरमायें और नीचे दिये गये खाते में रकम भेज कर जन्नत में ऊंचा मक़ाम बनाएं और इस सद-क़-ए जारिया में शरीक हों।

सहयोग के तरीक़े (१) सीमेन्ट सरिया, रोड़ी, बदरपुर, रेत (२) नक़द रक़म (३) कारीगरों और मज़दूरों की मज़दूरी की अदायगी (४) खिड़की, दरवाज़ा, पेन्ट, रंग व रोगन का सामान या क़ीमत देकर सहयोग करें और माल व औलाद और नेक कार्यों में बर्कत पाएँ।

Paytm UPI

9899152690@ptaxis

A/c Name : Markazi Jamiat Ahle Hadees Hind
A/c No. **629201058685** (ICIC Bank)
Chandni Chowk, Delhi-110006
(RTGS/NEFT/IFSC CODE ICIC0006292)
पताः-4116 उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद, दिल्ली-110006
Ph. 23273407, Fax : 23246613

अपील : सदस्यगण, मर्कज़ी जमीअत अलहे हदीस हिन्द

28

Total Pages 28